न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 16/2020
3. उनवान : सरकार जरिये ज्ञानप्रकाश शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स राज मिष्ठान भण्डार, गुर्जर की थडी, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
2. श्री रतन सिंह पुत्र श्री विरम सिंह, निवासी रायपुर तहसील जिला भीलवाडा हाल निवासी 562, कटेवा नगर, गुर्जर की थडी, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.04.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स राज मिष्ठान भण्डार पर पहुंचे। वक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। अप्रार्थी संख्या 2 की उपस्थिति में फर्म की जांच की गई। मौके पर जांच करने पर एक घरेलू सिलेण्डर आईओसी भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही में कचोरी बनाई जा रही थी। इसी दुकान में आईओसी के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर और रखे हुये मिले। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर आईओसी के कुल 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.900 किग्रा. एलपीजी जब्त किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। दिनांक 20.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि जब्त सिलेण्डर उसके नहीं है। अगर जब्तशुदा सिलेण्डर सरकार जब्त करती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जब्त सिलेण्डर ग्राहक के थे। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने का कथन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20.04.2018 को जब्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर(आईओसी) का अप्रार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी की फर्म पर एक घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर कडाही मे कचोरी बनायी जा रही थी। जिससे पुष्ट है कि वाणिज्यिक संस्थान पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती अनुसार प्रार्थी द्वारा जब्त आईओसी के कुल 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.900 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर